

# जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सरायकेला-खरसावाँ

दूरभाष संख्या :- 06597-234162 / E-mail - [ddc-sar@nic.in](mailto:ddc-sar@nic.in)

## :: शुद्धि पत्र ::

ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-(N) 480, दिनांक 28.02.18 बिरसा मुण्डा बागवानी योजना अंतर्गत आम बागवानी किया जाना है। उक्त के आलोक में कार्यालय पत्रांक- 196/मनरेगा, दिनांक- 14.05.2018 द्वारा PR 184508 (District) 18-19(D) से निविदा की प्रक्रिया निकाली गयी थी। अरिहार्य कारण से उक्त निविदा रद्द करते हुए पुनः संशोधित निविदा निकाली जाती है। आम वृक्षारोपण (बागवानी) हेतु निम्न सामग्रियों की आवश्यकता है :-

क्रम	सामग्री का नाम	विवरण
1	Manure	<ul style="list-style-type: none"> <li>कैचुआ खाद, नीम/करंज खली/Bone Meal/SSP/Dolomite और any other Suitable fertilizer</li> </ul>
2	Pesticides (Note-Green label वाले कीटनाशक एवं फफुन्दनाशक का उपयोग करना उचित होता है)	<ul style="list-style-type: none"> <li>फफुन्दनाशक (Mancozeb + Carbendazime) Copper oxychloride या any other suitable Fungicides and Trichoderma sp</li> <li>कीटनाशक Quinalphos/Chloropyriphos/Furadon 3G/Fenvalrate or any other suitable insecticides</li> <li>दीमकनाशक- Pyrethrum or equivalent</li> </ul>
3	Fertilizer	<ul style="list-style-type: none"> <li>रासायनिक खाद (Urea, DAP, MOP आदि)</li> <li>सूक्ष्म पोषक तत्व (Micro-nutrient) - Multiplex/Totocare or equivalent</li> </ul>
4	Polythene	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलकुंड हेत 250µ (micron)का UV protected black polythene sheet</li> </ul>

अतः इच्छुक सामग्री विक्रेता जिनके पास खाद, दवा आदि कारोबार करने का लाइसेंस, Pan No. एवं GST No है, अनुरोध है कि दिनांक 06.07.18 के अपराह्न 2.00 बजे तक उपरोक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु दर एवं 10,000/- रुपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट ("उप विकास आयुक्त, सरायकेला -खरसावाँ" के नाम पर देय होगा) अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें एवं उक्त तिथि को 3.00 बजे अपराह्न में निविदा प्रक्रिया में भाग लेना सुनिश्चित करें। विशेष जानकारी के लिए डी.आर.डी.ए. कार्यालय सरायकेला-खरसावाँ से सम्पर्क कर सकते हैं अथवा [www.seraikela.nic.in](http://www.seraikela.nic.in) के वेबसाइट पर देख सकते हैं।

### निविदा की शर्तें :-

1. निविदादाता को अपने फर्म का Pan No., GST REGISTRATION आवश्यक होना चाहिए तथा दवा आदि कारोबार करने का भी लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही कम से कम दो वर्षों का आयकर रिटर्न होना चाहिए।
2. निविदादाता को बिना कारण बताये उक्त निविदा को आंशिक या पूर्णतः रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।
3. सरायकेला/आस-पास जिलों के निविदादाता को प्राथमिकता दी जाएगी।
4. निविदादाता को सामग्री का पूर्ण विवरण देना होगा।
5. निविदा दर में कर का स्पष्ट उल्लेख होगा।
6. दिनांक 06.07.2018 के अपराह्न 02:00 बजे तक ही बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित किया जाएगा। उक्त समय के बाद प्राप्त होने वाले निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

*M. 21/06/18*

उप विकास आयुक्त  
सरायकेला-खरसावाँ